"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 सितम्बर 2013—भाद्र 29, शक 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नरेन्द्र कुमार गुप्ता पिता श्री इन्द्र कुमार गुप्ता, निवासी-क्वाटर 5 ए, रामनगर मुक्तिधाम भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं अपने नाम को परिवर्तित कर दीन मोहम्मद रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे दीन मोहम्मद पिता श्री इन्द्र कुमार गुप्ता के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम

नरेन्द्र कुमार गुप्ता
आत्मज-श्री इन्द्र कुमार गुप्ता
निवासी-रामनगर, भिलाई
स्थायी निवासी-वार्ड नं. 2, मस्जिद के सामने
हजरत मामू भांजा मजार
ग्राम-धमधा, तहसील-धमधा
जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

दीन मोहम्मद
आत्मज-श्री इन्द्र कुमार गुप्ता
निवासी-वार्ड नं. 2, मस्जिद के सामने
हजरत मामू भांजा मजार
ग्राम-धमधा, तहसील-धमधा
जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सितारा खॉन पिता अब्दुल सत्तार खान, आयु 39 वर्ष, निवासी-आदर्श नगर, गांधी ग्राम नकटा, मंदिर हसौद, जिला-रायपुर (छ. ग.) की हूं. यह कि विवाह पश्चात् मेरा नाम श्रीमती सरिता मेश्राम हो गया था. परन्तु लंबे समय से पति से अलग रहने के कारण मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सितारा खॉन रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे सितारा खॉन पिता अब्दुल सत्तार खॉन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
श्रीमती सरिता मेश्राम पति-श्री जे. के. मेश्राम निवासी-आदर्श नगर, मंदिर हसौद जिला-रायपुर (छ. ग.)	सितारा खॉन पिता-श्री अब्दुल सत्तार खॉन निवासी-आदर्श नगर, मंदिर हसौद जिला-रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सितारा खॉन पिता अब्दुल सत्तार खान, आयु 39 वर्ष, निवासी-आदर्श नगर, गांधी ग्राम नकटा, मंदिर हसौद, जिला-रायपुर (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे पुत्र सिप्रेज मेश्राम जिसकी उम्र 16 वर्ष है. उसके समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में सिप्रेज मेश्राम पिता श्री जे. के. मेश्राम दर्ज है. मैं मेरे पुत्र का नाम परिवर्तित कर मोहम्मद अमीर खॉन रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मेरे पुत्र को मोहम्मद अमीर खॉन संरक्षक/अभिभावक सितारा खॉन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
सिप्रेज मेश्राम पिता-श्री जे. के. मेश्राम निवासी-आदर्श नगर, मंदिर हसौद जिला-रायपुर (छ. ग.)	मोहम्मद अमीर खॉन संरक्षक/अभिभावक सितारा खॉन निवासी-आदर्श नगर, मंदिर हसौद जिला-रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शिव प्रसाद साहू उर्फ शिव कुमार साहू आत्मज श्री केजूराम साहू, उम्र 45 वर्ष, निवासी-शांति नगर, दुर्ग, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम शिव प्रसाद साहू दर्ज है. मेरा घरेलू नाम शिव कुमार साहू है. यह कि मेरे पुत्र के कक्षा 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची में पिता के नाम के स्थान पर त्रुटिवश मेरा घरेलू नाम शिव कुमार साहू दर्ज हो गया है. मै अपने नाम को परिवर्तित कर शिव प्रसाद साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे शिव प्रसाद साहू आत्मज श्री केजूराम साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
शिव कुमार साहू आत्मज-श्री केजूराम साहू निवासी-शांति नगर, दुर्ग तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	शिव प्रसाद साहू आत्मज-श्री केजूराम साहू निवासी-शांति नगर, दुर्ग तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दुलारी बाई साहू उर्फ मुन्नी बाई साहू पति शिव प्रसाद साहू, उम्र 42 वर्ष, निवासी-शांति नगर, दुर्ग, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मैं गृहणी हूं तथा मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम दुलारी बाई दर्ज है. मेरा घरेलू नाम मुन्नी बाई साहू है. यह कि मेरे पुत्र के कक्षा 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची में माता के नाम के स्थान पर त्रुटिवश मेरा घरेलू नाम मुन्नी बाई साहू दर्ज हो गया है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर दुलारी बाई साहू रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे दुलारी बाई साहू पति श्री शिव प्रसाद साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
मुन्नी बाई साहू पति-श्री शिव प्रसाद साहू निवासी-शांति नगर, दुर्ग तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	दुलारी बाई साहू पति-श्री शिव प्रसाद साहू निवासी-शांति नगर, दुर्ग तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, हीरू राम ठाकुर पिता स्व. बालूराम, उम्र 43 वर्ष, जाति-हल्बा, निवासी-सड़क नं. 33, क्वा. नं. 2/बी, नंदिनी नगर, भिलाई, तह.- धमधा, जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम हीरू राम दर्ज है तथा मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम हीरू राम ठाकुर दर्ज है. मै अपने नाम के साथ उपनाम "ठाकुर" जोड़कर मैं अपना नाम हीरू राम ठाकुर रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे हीरू राम ठाकुर पिता स्व. बालूराम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
हीरू राम पिता-स्व. बालूराम निवासी-सड़क नं. 33, क्वा नं. 2/बी नंदिनी नगर, भिलाई तह. -धमधा, जिला-दुर्ग (छ. ग.)	हीरू राम ठाकुर पिता-स्व. बालूराम निवासी-सड़क नं. 33, क्वा नं. 2/बी नंदिनी नगर, भिलाई तह.- धमधा, जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कु. पूजा कुमार पिता श्री विपिन कुमार, उम्र 21 वर्ष, निवासी- क्वा. नं. 3 ए, सड़क नं. 21, सेक्टर 10, भिलाई नगर, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे समस्त अंकसूचियों में मेरा नाम पूजा अंकित है. यह कि मैं अपने नाम के साथ उपनाम "कुमार" जोड़कर मैं अपना नाम पूजा कुमार रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे पूजा कुमार पिता श्री विपिन कुमार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	**नया नाम**
कु. पूजा पिता-श्री विपिन कुमार निवासी- क्वाटर नं. 3 ए, सड़क नं. 21 सेक्टर 10, भिलाई नगर तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	कु. पूजा कुमार पिता-श्री विपिन कुमार निवासी- क्वाटर नं. 3 ए, सड़क नं. 21 सेक्टर 10, भिलाई नगर तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा, जिला-कोरबा (छ. ग.)

कोरबा, दिनांक 5 अगस्त 2013

क्रमांक/उपंको/परिस./402/2013.— कादरी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., कुंआभट्टा, कोरबा, पंजीयन क्रमांक 44/19-11-03 दिनांक .... को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 247 दिनांक 3-7-2013 द्वारा दिया गया था. किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-19/15-02/2012/03, रायपुर दिनांक 04-05-2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एन. कुजूर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.) कादरी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., कुंआभट्टा, कोरबा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री एस. के. कंवर, सह. वि. अधि. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 5 अगस्त 2013

क्रमांक/उपंको/परिस./403/2013.— गणपति प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., सर्वमंगलानगर, कोरबा, पंजीयन क्रमांक 56 दिनांक 5-8-2004 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 248 दिनांक 3-07-2013 द्वारा दिया गया था. किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-19/15-02/2012/03, रायपुर दिनांक 04-05-2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एन. कुजूर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.) गणपति प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., सर्वमंगलानगर, कोरबा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री एस. के. कंवर, सह. वि. अधि. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 5 अगस्त 2013

क्रमांक/उपंको/परिस./404/2013.— अशरफी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., कांशी नगर, कोरबा, पंजीयन क्रमांक 54 दिनांक 19-07-2004 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 249 दिनांक 3-7-2013 द्वारा दिया गया था. किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-19/15-02/2012/03, रायपुर दिनांक 04-05-2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एन. कुजूर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.) अशरफी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., कांशी नगर, कोरबा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री एस. के. कंवर, सह. वि. अधि. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 5 अगस्त 2013

क्रमांक/उपंको/परिस./405/2013.— सरस्वती प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., मोतीसागरपारा, कोरबा, पंजीयन क्रमांक 58 दिनांक 31-8-2004 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 250 दिनांक 03-07-2013 द्वारा दिया गया था. किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-19/15-02/2012/03, रायपुर दिनांक 04-05-2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एन. कुजूर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.) सरस्वती प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., मोतीसागरपारा, कोरबा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री एस. के. कंवर, सह. वि. अधि. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 5 अगस्त 2013

क्रमांक/उपंको/परिस./406/2013.— पवन प्राथमिक उपभोक्ता भंडार सहकारी समिति मर्या., परसाखोला, पंजीयन क्रमांक 61 दिनांक 20-01-2005 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 251 दिनांक 03-07-2013 द्वारा दिया गया था. किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-19/15-02/2012/03, रायपुर दिनांक 04-05-2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एन. कुजूर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.) पवन प्राथमिक उपभोक्ता भंडार सहकारी समिति मर्या., परसाखोला को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री एस. के. कंवर, सह. वि. अधि. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 5 अगस्त 2013

क्रमांक/उपंको/परिस./407/2013.— प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., बेगीनबहार (डिंगापुर), पंजीयन क्रमांक 62 दिनांक 29-01-2006 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 252 दिनांक 03-07-2013 द्वारा दिया गया था. किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-19/15-02/2012/03, रायपुर दिनांक 04-05-2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एन. कुजूर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.) प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., बेगीनबहार (डिंगापुर), वि. खं. कोरबा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री एस. के. कंवर, सह. वि. अधि. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 5 अगस्त 2013

क्रमांक/उपंको/परिस./408/2013.— सहारा प्राथमिक उपभोक्ता भंडार सहकारी समिति मर्या., रूमगरा, पंजीयन क्रमांक 82 दिनांक 22-3-2006 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 253 दिनांक 03-07-2013 द्वारा दिया गया था. किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-19/15-02/2012/03, रायपुर दिनांक 04-05-2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एन. कुजूर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.) सहारा प्राथमिक उपभोक्ता भंडार सहकारी समिति मर्या., रूमगरा; वि. खं. कोरबा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री एस. के. कंवर, सह. वि. अधि. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

एन. कुजूर,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2013.